

प्रेस नोट
दिनांक 11.09.2024, थाना कोतवाली नगर,
जनपद गोण्डा।

थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के अन्तर्गत चोरी करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 अदद मोबाइल फोन व रू0 14,500/- नगद बरामद:-

कार्यवाही:-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री सौरभ वर्मा के नेतृत्व में गठित थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0- 625/24 धारा 303(2), 317(2) बी0एन0एस0 से सम्बन्धित प्रकाश में आये आरोपी अभियुक्त 01. कुवर शुक्ला पुत्र अमरजीत शुक्ला उर्फ दहन निवासी पठान टोला वार्ड नं0 09 व 10 कस्बा व थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा को ट्रैफिक कार्यालय के पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 01 अदद मोबाइल फोन व रू0 14,500/- बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

वादी श्री लालमन मौर्या पुत्र ओम प्रकाश मौर्या निवासी जेल रोड थाना को0नगर जनपद गोण्डा द्वारा थाना कोतवाली नगर पर सूचना दिये कि दिनांक 20.08.2024 को जब मैं अपनी सब्जी की दुकान बन्द करके गहरी नीद में सो रहा था कि अज्ञात चोर द्वारा दुकान के अन्दर घुसकर मच्छरदानी के अन्दर बिस्तर के नीचे से पैसे चोरी कर लिया गया है, जिसका फुटेज सी0सी0टी0वी में रिकार्ड है, तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0- 625/24, धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी व चोरी गई रूपये बरामदगी हेतु टीमों का गठन किया गया। आज दिनांक 11.09.2024 को थाना को0नगर पुलिस टीम द्वारा प्रकाश में आये आरोपी अभियुक्त- 01. कुवर शुक्ला पुत्र अमरजीत शुक्ला उर्फ दहन निवासी पठान टोला वार्ड नं0 09 व 10 कस्बा व थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा को ट्रैफिक कार्यालय के पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 01 अदद मोबाइल फोन व रू0 14,500/- बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. कुँवर शुक्ला पुत्र अमरजीत शुक्ला उर्फ दहन निवासी पठान टोला वार्ड नं0 09 व 10 कस्बा व थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

अनावरित अभियोग

01. मु0अ0सं0- 625/2024, धारा 303(2), 317(2) बी0एन0एस0, थाना कोतवाली नगर, जनपद- गोण्डा

बरामदगी-

01. चोरी का 01 अदद मोबाइल फोन (ओपो कम्पनी)
02. चोरी के रू0 14,500/- बरामद

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 राकेश कुमार
02. हे0का0 मनोज कुमार
03. का0 विनय प्रताप

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 11.09.2024, थाना कर्नलगंज,
जनपद गोण्डा।

थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा चोरी की योजना बनाते समय 04 शातिर चोरों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी करने के उपकरण टार्च, सब्बल, आरी, ब्लेड, हथौडा, चाभी गुच्छा, छेनी, प्लास, पेचकस बरामद।

बरामद-

कार्यवाही:-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री उमेश्वर सिंह के नेतृत्व में थाना कर्नलगंज पुलिस टीम द्वारा चोरी की योजना बनाते समय 04 शातिर चोरों-01. शरीफुल हसन, 02. मो0 अकरम, 03. अशरफ व 04. श्यामू को दत्तनगर स्कूल के पीछे से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी करने के उपकरण 03 सब्बल, 01 आरी, 06 ब्लेड, 01 हथौडा, 01 चाभी गुच्छा, 01 छेनी, 01 प्लास, 01 पेचकस व टार्च बरामद किया गया। गिरफ्तार व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-410/2024, धारा 313 बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 11.09.2024 को थाना कर्नलगंज के उ0नि0 अंकित सिंह मय हमराह फोर्स के साथ रात्रि गस्त में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था हेतु क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर दत्तनगर स्कूल के पीछे से चोरी की योजना बनाते समय 04 चोरों -01. शरीफुल हसन, 02. मो0 अकरम, 03. अशरफ व 04. श्यामू को दत्तनगर स्कूल के पीछे से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी करने के उपकरण 03 सब्बल, 01 आरी, 06 ब्लेड, 01 हथौडा, 01 चाभी गुच्छा, 01 छेनी, 01 प्लास, 01 पेचकस व टार्च बरामद किया गया। गिरफ्तार व बरामदगी के आधार पर

थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-410/2024, धारा 313 बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. शरीफुल हसन पुत्र अहमद हसन निवासी हरिचन्दा थाना जरवल रोड़ जनपद बहराइचा
02. मो0 अकरम पुत्र शरीफुल हसन निवासी हरिचन्दा थाना जरवल रोड़ जनपद बहराइचा
03. अशरफ पुत्र शरीफुल हसन निवासी हरिचन्दा थाना जरवल रोड़ जनपद बहराइचा
04. श्यामू पुत्र पाटन निवासी भुलियापुर कोनहटा थाना कर्नलगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-410/2024, धारा 313 बीएनएस थाना कर्नलगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 03 अदद सब्बल
02. 01 अदद आरी
03. 06 अदद ब्लेड
04. 01 अदद हथौडा
05. 01 अदद चाभी गुच्छा
06. 01 अदद छेनी
07. 02 अदद प्लास
08. 03 अदद पेचकस

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 अंकित सिंह
02. उ0नि0 बृजेश कुमार सिंह
03. का0 पंकज कुमार
04. का0 ऋषिकेश यादव
05. का0 दिलीप सिंह
06. हे0का0 राजेश यादव

मीडिया सेल, गोण्डा।